

कार्यालय कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

क्र./कु.स./स्था./अ.सू./2018/585

दिनांक 03/10/18

// अधिसूचना //

उप सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ 6-1/2018/नियम/ चार दिनांक 06 अगस्त 2018 द्वारा म.प्र. सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 के नियम 25 के उप नियम (1) में खंड (ग) में शासकीय सेवकों के अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस करने संबंधी संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित भाग 4 दिनांक 28 जुलाई 2018 द्वारा दिनांक 01.07.2018 से प्रवृत्त किया गया है। विश्वविद्यालय प्रमंडल की 33वीं बैठक दिनांक 01.10.2018 के पद क्रमांक 04 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पूर्व शासन के नियमानुसार अर्जित अवकाश की संचयन सीमा 240 दिवस के स्थान पर 300 दिवस किये जाने तथा इसका लाभ विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2018 से शासन के नियमानुसार दिये जाने का प्रबंध प्रमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार,

(जी.एल. कोरी)
कुलसचिव

पृष्ठा.क्र./कु.स./स्था./अ.सू./2018/586

दिनांक 03/10/18

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. अधिष्ठाता कृषि संकाय, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
2. निदेशक शिक्षण/विस्तार सेवाये/अनुसंधान सेवाये, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
3. अधिष्ठाता, कृषि/उद्यानिकी महाविद्यालय, ग्वालियर/इंदौर/खंडवा/सीहोर/मंदसौर
4. समस्त सह संचालक अनुसंधान, ऑचलिक कृषि अनुसंधान केन्द्र.....
5. समस्त प्रभारी अधिकारी फल/क्षेत्रीय कृषि/विशेष अनुसंधान केन्द्र.....
6. समस्त कृषि विज्ञान केन्द्र.....
7. आवासीय संयुक्त संचालक/उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
8. लेखानियंत्रक, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
9. उप कुलसचिव (स्था./शिक्षण), रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
10. पोर्टल प्रभारी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की और विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराने बावत ।
11. निज सचिव, माननीय कुलपतिजी, रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर ।
12. सुरक्षा नस्ती ।

(कुलसचिव)